

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र0-06-विविध-16/2018 (खंड)

1728

/खाद्य,पटना/दिनांक 20/04/2023

प्रेषक,

संगीता सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अवर सचिव,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग,
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

विषय :- Welfare Institutions & Hostels Scheme के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम छः माह (अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023) हेतु 7011.36 क्विंटल चावल एवं 4674.24 क्विंटल गेहूँ का आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Welfare Institutions & Hostels Scheme के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 903 दिनांक 28.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पूरे वर्ष के लिए 1117 छात्र/छात्राओं हेतु 1206.36 क्विंटल चावल एवं 804.24 क्विंटल गेहूँ एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1506 दिनांक 10.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पूरे वर्ष के लिए 6392 छात्र/छात्राओं हेतु 6903.36 क्विंटल चावल एवं 4602.24 क्विंटल गेहूँ तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 209 दिनांक 13.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वर्ष 2023-24 के प्रथम छः माह (अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023) के लिए 5475 छात्र/छात्राओं हेतु 2956.50 क्विंटल चावल एवं 1971.00 क्विंटल गेहूँ की अधियाचना की गई है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि Welfare Institutions & Hostels Scheme के अन्तर्गत उक्त तीनों विभागों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम छः माह (अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023) हेतु समेकित रूप से कुल 7011.36 क्विंटल चावल एवं 4674.24 क्विंटल गेहूँ का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। उक्त योजनान्तर्गत माह अक्टूबर, 2022 से मार्च, 2023 हेतु उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा।

विश्वासभाजन,

अनु0:-23 पन्ना।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-प्र0-06-विविध-16/2018 (खंड)

1728

/खाद्य,पटना/दिनांक 20/04/2023

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग



डॉ० अमीर आफ़ाक अहमद फ़ैज़ी
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:-Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु खाद्यान्न आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिनस्थ 18 अल्पसंख्यक छात्रावासों की वर्तमान में आवासित 1117 छात्रों हेतु Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रतिमाह 100.53 क्विंटल चावल एवं 67.02 क्विंटल गेहूँ की आवश्यकता है।

अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चयनित 18 छात्रावासों हेतु वर्तमान आवासन क्षमता के अनुरूप खाद्यान्न की अधियाचना निम्नवत है :-

(खाद्यान्न किलोग्राम में प्रतिमाह)

क्र०	जिला का नाम	छात्रावास का नाम	कुल क्षमता	वर्तमान में आवासित छात्र	चावल	गेहूँ
1	पटना	मदर टेरेसा अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास	100	77	693	462
2	पटना	मौलाना अबुल हसन अली नदवी अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	62	558	372
3	रोहतास	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	50	39	351	234
4	रोहतास	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	57	513	342
5	कैमूर	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	90	810	540
6	जहानाबाद	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	61	549	366
7	सारण	हजरत शाह पीर नजर, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	60	17	153	102
8	पूंचम्पारण	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, लुअठाहाँ	100	97	873	582
9	मधुबनी	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	95	855	570
10	सहरसा	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	73	657	438
11	सुपौल	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	60	48	432	288

12	कटिहार	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	95	855	570
13	कटिहार	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास	100	65	585	390
14	खगड़िया	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	67	603	402
15	शेखपुरा	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	63	567	378
16	सिवान	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	60	19	171	114
17	नवादा	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	52	468	312
18	बांका	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास	100	40	360	240
कुल			1630	1117	10053	6702

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अल्पसंख्यक छात्रावासों के लिए 100.53 क्विंटल चावल एवं 67.02 क्विंटल गेहू की प्रतिमाह आवश्यकता होगी।

- जिलावार खाद्यान्न की अधियाचना सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह आवासित छात्रों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार उपरोक्त गणना में कुछ परिवर्तन हो सकता है।
- अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु $100.53 \times 12 = 1206.36$ क्विंटल चावल एवं $67.02 \times 12 = 804.24$ क्विंटल गेहू, उपरोक्त अंकित विवरणी के अनुसार आवंटित करने की कृपा की जाय।


विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक- अ०सं०क०-०४-०३-४-०७/२०१९(खण्ड-क) १०३ पटना, दिनांक- २८.०३.२०२३

प्रतिलिपि :- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव-सह-निदेशक 28/3